

क्लाइमेट फाइनंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज़्ड इन 2013-2022

प्रलिस के लिये:

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, [जलवायु वित्त लक्ष्य](#), [वशिव बैंक](#), [बहुपक्षीय विकास बैंक](#), [नया सामूहिक परमाणित लक्ष्य](#)

मेन्स के लिये:

विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्त, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्र की प्रभावशीलता, आर्थिक विकास और पर्यावरण की संधारणीयता

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

[आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन \(Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD\)](#) द्वारा जारी “क्लाइमेट फाइनंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज़्ड इन 2013-2022” नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्त के रूप में [100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि](#) उपलब्ध कराई और संग्रहीत की, जबकि वित्त वर्षों के दौरान ये देश ऐसा करने में असफल रहे थे।

OECD रिपोर्ट के प्रमुख नष्कर्ष क्या हैं?

- **जलवायु वित्त लक्ष्य:** विकासशील देशों ने वर्ष 2022 में विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में 115.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए और संग्रहीत किये। यह उपलब्ध मूल लक्ष्य वर्ष 2020 से दो वर्ष बाद प्राप्त हुई है।
- **सार्वजनिक जलवायु वित्त का प्रभुत्व:** वर्ष 2022 में कुल वित्तीय प्रवाह में लगभग 80% हसिसेदारी द्वपिकषीय (देशों) और बहुपक्षीय स्रोतों (जैसे [वशिव बैंक](#)) से प्राप्त सार्वजनिक जलवायु वित्त की थी। बहुपक्षीय विकास बैंकों (Multilateral Development Banks- MDBs) से लगभग 90% वित्तपोषण, ऋण के रूप में प्राप्त हुआ।
 - द्वपिकषीय स्रोतों से 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि बहुपक्षीय स्रोतों से 50.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2022 में जुटाए गए नजी वित्त का योगदान 21.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- **वित्तीय साधनों की प्रकृति:** सार्वजनिक जलवायु वित्त में 70% हसिसा ऋणों का था, जसिसे विकासशील देशों पर ऋण के बोझ संबंधी चिंताओं में वृद्धि हुई। कुल सार्वजनिक जलवायु वित्त का केवल 28% ही अनुदानों के रूप में प्राप्त हुआ।
- **आय स्तर के अनुसार वितरण:** निम्न आय वाले देशों को उनके सार्वजनिक जलवायु वित्त का 64%, जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों को केवल 13% अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।
- **शमन तथा अनुकूलन के लिये वित्तपोषण में अंतराल:** अधिकांश वित्तपोषण शमन प्रयासों के लिये किया गया, जबकि [अनुकूलन](#) गतिविधियों को वर्ष 2022 में 32.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।
- **वशिषज्जों की चिंताएँ और सफिररशें:** वशिषज्जों ने जलवायु वित्त के लिये अधिक पारदर्शी लेखापरीक्षण और स्पष्ट परभाषा की मांग की।
 - आलोचकों का तर्क है कि ऋण पर अत्यधिक नरिभरता जलवायु न्याय के सिद्धांतों को कमज़ोर बनाती है।
 - विकासशील देशों को [जलवायु परिवर्तन](#) से प्रभावी रूप से निपटने के लिये वर्ष 2030 तक [प्रतविरष अनुमानित 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता](#) की तुलना में [100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य](#) अपर्याप्त माना जा रहा है।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा

समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
 - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCAF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
 - कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
 - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंज डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के

अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	<ul style="list-style-type: none">कमजोर भारतीय राज्यों के लियेस्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करनाUNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्यवैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



//


जलवायु वित्त लक्ष्य का भविष्य क्या है?

- जलवायु वित्त पर एक नया, अधिक महत्वाकांक्षी **नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal- NCQG)** स्थापित करने के लिये वार्ता जारी रही है। नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में COP29 शिखर सम्मेलन में इसे अपनाए जाने की आशा है।
 - NCQG के तहत **वर्ष 2025 के बाद से विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिये वकिसति देशों को अनिवार्य रूप से बैठक करनी होगी और यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते का स्थान लेगा।**
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन (UN Climate Change) द्वारा वर्ष 2021 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि विकासशील देशों को अपनी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिये **वर्ष 2030 तक सालाना लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।**
 - भारत ने वकिसति देशों से आग्रह किया है कि वे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिये **वर्ष 2025 से विकासशील देशों को प्रति वर्ष कम-से-कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराएँ।**

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

⤵ **प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र:** ऊर्जा, परिवहन, निर्माण



⤵ **प्रमुख जलवायु जोखिम:** बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात

⤵ **कमज़ोर क्षेत्र:** कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

⤵ **राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा**

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)

⤵ **भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)**

- 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
- आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
- वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
- 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ का अतिरिक्त कार्बन सिंक
- विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
- घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना

- क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना

⤵ **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते**

- पेरिस समझौता (2015)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

⤵ **ड्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनल ज़ुसामेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)**

- ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
- राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
- ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
- जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)

⤵ **यूरोपीय संघ (EU)**

- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
- इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

⤵ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)**

⤵ **अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)**

⤵ **UNDP:** राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना



Drishti IAS

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD):

- OECD 38 लोकतांत्रिक देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिये प्रतबिद्ध है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1960 में 18 यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा की गई थी, तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
- OECD का लक्ष्य ऐसी नीतियों को आकार देना है जो सभी के लिये समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दें। यह आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक विकास पर पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है।
- यह विश्व भर में रशिवतखोरी और वित्तीय अपराध को समाप्त करने की दशा में भी कार्य करता है तथा असहयोगी **टैक्स हैवन देशों** की "ब्लैक लिस्ट" को भी प्रबंधित करता है।
- OECD के अपने सदस्य देशों के अतिरिक्त **भारत जैसी गैर-सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी कार्यकारी संबंध रखता है।**

????? ???? ????:

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को कम करने के लिये पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दशा में विश्व की पहुँच कहाँ तक है?

और पढ़ें: [क्लाइमेट फाइनेंस रोड से COP29 तक, भारत की जलवायु प्रोफाइल \(भाग - II\)](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशशि करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक न होने पाए।
3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जमिमेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये 2020 से प्रतविर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतबिद्धता जताई।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतबिद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हारति ग्रडि पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह वचिर पहली बार कब दया गया था? (2021)